04/09/2014

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2731/2013

प्रकरण वी0सी0 में प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री ठाकुर नवल सिंह सूचना के बावजूद अनुपस्थित। वे पिछली तारीख में उपस्थित थे। अतः सूचना के बावजूद अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है।

उत्तरवादी श्री पंकज टेम्भुर्णीकर उपस्थित। उन्होंने बताया कि आयोग के द्वारा दिनांक 7.8.2014 की सुनवाई में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपीलार्थी को अभिलेखों का अवलोकन कराया गया था और अपीलार्थी संतुष्ट भी हो गये हैं। परंतु अपीलार्थी द्वारा पी0एफ0 फंड से संबंधित अतिरिक्त जानकारी की भी मांग की गई।

चूंकि जनसूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन में अपीलार्थी द्वारा पी0एफ0 फंड से संबंधित जानकारी नहीं चाही गई थी इसलिए जनसूचना अधिकारी द्वारा इसे दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी भी अनुपस्थित है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें चाही जानकारी प्राप्त हो चुकी है एवं वे प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हैं।

अतः प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही आवश्यक न होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त